न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी सीकर

अपील संख्या 47 / 2018

पीठासीन अधिकारी करतार सिंह पूनियाँ
RAS

1 मनीषा देवी उम्र 38 साल पत्नी महावीर प्रसाद जाति माली निवासी कुआ काणी कस्बा उदयपुरवाटी तहसील उदयपुरवाटी जिला झुंझुनू।
2 हाउराम उम्र 50 साल पुत्र गिरधारीलाल जाति माली निवासी ग्राम नांगल कुआं डाबला तहसील उदयपुरवाटी जिला झुंझुनू।

सत्यमेव जयते

अपीलांट

Web Copy -Not Official

बनाम

1 शंकरलाल उम्र 80 साल पुत्र नाराणा जाति माली निवासी ग्राम नांगल तहसील उदयपुरवाटी जिला झुंझुनू।
2 पुर्णी देवी उम्र 70 साल पत्नी गिरधारीलाल।
3 मोतीलाल उम्र 40 साल पुत्र गिरधारीलाल।
4 राजू उम्र 30 साल पुत्र गिरधारीलाल

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी

न्यायालय भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी सीकर

5 जगदेव प्रसाद उम्र 80 साल पुत्र कानाराम जाति समस्त माली निवासी ग्राम नांगल कुआं डाबला तहसील उदयपुरवाटी जिला झुंझुनू।

6 श्रीमान तहसीलदार उदयपुरवाटी जिला झुंझुनू।

रेस्पोंडेन्ट

अपील विरूद्व आदेश दिनांक 18.05.2018 द्वारा उपखण्ड अधिकारी उदयपुरवाटी उनवानी मुकदमा शंकर बनाम पूर्णी देवी वगैरह प्रार्थना पत्र अं. धारा 251ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम मुकदमा नम्बर 172/2017

उपस्थित

1. श्री उम्मेदराज अधिवक्ता अपीलांट
2. श्री सुभाषचन्द पूनियां अधिवक्ता रेस्पोडेंट

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी सीकर

–निर्णय–

दिनांकः–11.10.2018

यह अपील विचारण न्यायालय उपखण्ड अधिकारी उदयपुरवाटी द्वारा प्रार्थना पत्र संख्या 172/2017 में पारित निर्णय दिनांक 18.05.2018 के विरूद्व प्रस्तुत की गई है।

प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि विचारण न्यायालय में प्रार्थी रेस्पोडेंट ने खसरा नम्बर 163,155,154,156 में से आते हुये रास्ते के लिए खसरा नम्बर 163 की उत्तरी सीमा की तरफ रास्ते का अनुतोष चाहा है विचारण न्यायालय ने रिपोर्ट प्राप्त कर बाद सुनवाई विचाराधीन निर्णय से खसरा नम्बर 154,155,156 में से रास्ता कायम कर दिया जिससे व्यथित होकर यह अपील प्रस्तुत की गई है।

बहस उभयपक्ष सुनी गई। वर वक्त बहस अपीलांट मनीषा देवी की और से एवं रेस्पोडेंट संख्या 1 शंकरलाल की और से राजीनामा प्रस्तुत कर मुताबिक राजीनामा अपील स्वीकार कर विचारण न्यायालय का निर्णय अपास्त करने का निवेदन किया गया। दोनों पक्षकारों की पहचान उनके अधिवक्ता श्री रविराज सैनी एवं श्री गुगन अधिवक्ता ने की एवं दोनों वकीलों ने मुताबिक राजीनामा अपील स्वीकार कर विचाराधीन निर्णय खारिज करने का निवेदन किया।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया एवं विद्वान अधिवक्तागण उभयपक्ष की बहस पर मनन किया। प्रस्तुत प्रकरण में अपीलांट मनीषा

देवी एवं रेस्पोडेंट संख्या 1 शंकरलाल की और से राजीनामा प्रस्तुत कर अपील स्वीकार करने एवं विचारण न्यायालय का विचाराधीन निर्णय अपास्त करने का निवेदन किया है। विद्वान अधिवक्ता श्री रविराज सैनी एवं श्री गुगनराम ने पक्षकारों की पहचान की है इस पर इस न्यायालय द्वारा राजीनामा तस्दीक किया गया है चूंकि उभयपक्ष सहमत है इसे दृष्टिगत रखते हुये अपील अपीलांट स्वीकार कर विचारण न्यायालय द्वारा पारित विचाराधीन निर्णय अपास्त किया जाता है।

निर्णय आज दिनांक 11.10.2018 को सरे इजलास सुनाया गया।

(करतार सिंह पूनियाँ)
भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी,
सीकर